

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला
चित्तौड़गढ़**

पीठारसीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 46 / 2025

दायर दिनांक : 03 / 09 / 2025

निर्णय दिनांक : 24 / 11 / 2025

सुनवान

- 1 भूरालाल पिता उदा मेघवाल निवासी नवलपुरा तहसील भूपालसागर
- 2 रामलाल पिता उदा मेघवाल निवासी नवलपुरा तहसील भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

3. हजारी पिता उदा गाडरी निवासी कबीर जी भागल तहसील भूपालसागर
4. नारायण पिता भाना जाति मेघवाल निवासी कबीर जी भागल तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण सं. 1 अनुपस्थित व 2 की ओर से वकील सुश्री अर्चना ने अंडरटेकिंग ली व जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने से जवाब बंद किया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि ग्राम कबीर जी की भांगल पटवार हल्का कानरखेडा के खाता सं. 68 से दर्ज हाल आ0न0 423 रकबा 1.180 आ0न0 424 रकबा 0.960 आ0न0 425 रकबा 0.4600 आ0न0 477/422 रकबा 0.0700 कुल किता 4 कुल रकबा 2.6700 है0 भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।



(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
भूपालसागर

